03.07.18	**राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर** पीठासीन अधिकारी :– श्री जे0एन0मथुरिया(आर0ए0एस0) आर.सी.एम.एस 2018/00143 अपील संख्या 40/2018 (225 आर.टी.एक्ट) उनवानः–तेजसिंह बनाम देशराज	
	वकुलाय फरीकेन उप0। बहस उभयपक्ष सुनी गई वकील अपीलार्थी की बहस है कि अधीनस्थ न्यायालय नें कैम्प कोर्ट में बिना सहमति के स्टे एवं प्रा0 पत्र दोनों खारिज कर दिये है। जिसका कोई अधिकार नहीं था। कैम्प कोर्ट में केवल राजीनामा के प्रकरण ही निस्तारित किये जा सकते है अतः अधीनस्थ न्यायालय का आदेश अपास्त किया जावे। बचाव में वकील प्रत्यर्थी ने निवेदन किया कि अपीलार्थी के पास पहले से ही विवादित आराजी मे जाने हेतु रास्ता मौजूद है। साथ ही पक्के निर्माण को हटाकर कोई रास्ता नहीं दिया जा सकता। अपने पक्ष के समर्थन में 2017 आर.आर.टी423, 2010 व 330(एस.सी) 2011सी.टी 409(एच.सी एवं 2016 आर.आर.टी 649 एच.सी) पेश की। बहस उभयपक्ष के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली का अवलोकन किया गया। रेकोर्ड से स्पष्ट है कि ख0न0 1052 के चारों ओर कोई रेकोर्डेड रास्ता नहीं है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी अपने संदर्भित निर्णय में इसी तथ्य को स्वीकार किया है कि प्रस्तावित रास्ते से काश्तकार को अनावश्यक कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है किन्तु यह भी अकिंत किया है कि यदि वैकल्पिक रास्ता रेकोर्डेड नहीं है तो उसका अंकन रेकोर्ड में कराया जावे। चूकिं वर्तमान प्रकरण में ख0न01052 के रास्ते का अंकन रेकोर्ड में नहीं है अतः प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलार्थी को उचित रास्ता (सभी प्रभावित पक्षकारान को सुनकर)उपलब्ध कराया जावे। जहॉ तक स्थगन का प्रश्न है इस स्तर पर खातेदार काश्तकार को स्थगन से पाबंद किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता लेकिन उपलब्ध कराये जाने वाले रास्ते में कोई नवीन निर्माण कराया जाता है तो मुआवजे के अवधारणमें उसे सम्मिलित नहीं किया जावेगा। उभयपक्ष 20.07.2018 को अधीनस्थ न्यायालय में उप0 रहे। फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावे एवं वाद तामील तकमील दाखिल दफतर हो। आदेश सुनाया गया।	